RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

::CORRIGENDUM ::

No. RHC/Exam Cell/RJS/CJC/2024/ 1053

Date:08.05.2024

In view of re-determination of vacancies in the cadre of Civil Judge for the year 2024 (Up to December 2024) and amendments in RJS, Rules regarding relaxations to the Ex-Serviceman Category, it is **NOTIFIED** to all concerned that Advertisement No. रा.उ.न्या.जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / रा.न्या.से. / सिविल.न्या. सं. / 2024 / 783 dated 09.04.2024 is partially modified and partially superseded as under -

रिक्त पदों का विवरण

Total Number of Vacancies	Year	General	Reserved					Persons with Benchmark	
			sc	ST	ОВС	EWS	МВС	Disabilities	
82	2024 (up to Dec., 2024	31 Out of which, 9 posts for women. Out of 9 posts reserved for women 02 posts for Widow and 01 posts for Ex- serviceman	13 Out of which, 03 posts for women.	9 Out of which 02 posts for women.	17 Out of which 05 posts for women. Out of 05 posts reserved for women 01 post for widow.	08 Out of which 02 posts for women.	04 Out of which 01 post for woman.	Out of 82 vacancies, 04 posts for persons with Benchmark Disabilities*	
आवेदन करने की समय सीमा				जो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं तथा भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने के इच्छुक हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर यूजर नेम, पासवर्ड एवं केप्चा कोड के माध्यम से लोग इन करने के पश्चात "Edit Ex-Serviceman Detail" पर क्लीक कर के "Yes" ऑप्शन सलेक्ट कर के "Save" बटन दबाकर भूतपूर्व सैनिक का विकल्प चुन सकते हैं परन्तु ऐसी स्थिति में कोई फीस वापसी देय नहीं होगी एंव ऐसे किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन करने तथा ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी (Ex-Serviceman Category) के विकल्प का चयन करना चाहते हैं ऐसे विकल्प को चयन करने हेतु, लिंक दिनांक 09.05.2024 (गुरूवार) दोपहर 01:00 बजे से दिनांक 18.05.2024 (शनिवार) सायं 05:00 बजे तक पुनः सक्रिय किया जाएगा।					
ऑनलाईन समय सीमा	परीक्षा इ	गुल्क जमा करने	05:00	ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा करने का लिंक दिनांक 09.05.2024 (गुरूवार) सायं 05:00 बजे के स्थान पर दिनांक 19.05.2024 (रविवार) सायं 05:00 बजे तक सक्रिय रहेगा।					



परीक्षा शुल्क (Examination Fee):— भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु प्रीक्षा शुल्क 750 /— होगा एवं शेष श्रेणियों हेतु फीस यथावत रहेगी। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को, जो इस शुद्धिपत्र के जारी किए जाने से पूर्व ऑनलाईन आवेदन कर चुके हैं तथा अब भूतपूर्व श्रेणी में होने के विकल्प का चुनाव करते हैं, अधिक भुगतान किए गये शुल्क, यदि कोई हो, की वापसी देय नहीं होगी एवं ऐसी राशि की वापसी के किसी आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

विमिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ मे

- i. भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरुद्ध क्षेतिज (Horizontal against Categorywise vacancies) रूप से होगा।
- ii. भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जाएगा।
- iii. भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। उक्त श्रेणी के अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।

<u>आयु (Age)</u>:--

• The upper age limit shall be relaxed by 10 years in case of the Ex-servicemen. Provided that in case, permissible age after such relaxation of 10 years, work out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable.

परीक्षा की रकीम और पाउयक्रम (Scheme & Syllabus of Examination):—

- To qualify for Main Examination, the candidates of Ex-Servicemen category shall have to secure minimum 40% marks in the Preliminary Examination and in case of non-availability of Ex-Servicemen, furthermore five percent relaxation shall be applied to Ex-Servicemen candidates.
- Provided further that a candidate belonging to Ex-Servicemen shall be deemed to be eligible for Interview, if he has obtained minimum of 30% marks in each of the Law Papers and 35% marks in the aggregate in the Main Examination.
- Provided that a candidate of Ex-Servicemen category shall not be recommended for appointment unless he obtains minimum 35% marks in the aggregate of Written Examination and the Interview

अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions):-

• ऐसे आवेदक, जिनके द्वारा अन्तिम दिनांक तक ऑनलाईन आवेदन कर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करा दिया गया है, उनको ही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। किसी आवेदक को परीक्षा में बैठने के लिए केवल मात्र प्रवेश—पत्र जारी कर दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उसकी अभ्यर्थिता अन्तिम (Final) रूप से सही मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा आवेदन—पत्र में की गयी प्रविष्टियां सही और ठीक मान ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवेदक की मूल प्रलेखों से व नियमानुसार पात्रता की जांच करते समय यदि भूतपूर्व सैनिक के रूप में पात्रता की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करने के आधार पर उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी अभ्यर्थिता (Candidature) किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा।

Registrar (Examination)